राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्त्रोत संस्थान
डा. के. एस. कृष्णन मार्ग ,नई दिल्ली-110012
14, सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली-110067

संo 1(209/2020-Vig.

Dated: 09.10.2020

कार्यालय ज्ञापन

सी वी ओ, सी एस आई आर के पत्र संख्या 15-06(88)/2001-ओ एवं एम –(Vol.X) दिनांक 15/9/2020 द्वारा प्रेषित सीवीसी के परिपत्र दिनांक 08/09/2020 के अनुसरण में **सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2020** संस्थान में दिनांक 27/10/2020 से 02/11/2020 के दौरान मनाया जाएगा।

इस अवसर पर दिनांक 27/10/2020 को प्रात: 11.30 बजे, दोनो परिसरों के कर्मचारियों को शपथ (MS टीम के माध्यम से) दिलाई जाएगी । इसके अतिरिक्त संस्थान के सभी सदस्यों (स्थायी एवं अस्थाई) को ई-प्लेज़ लेना अनिवार्य है। ई-प्लेज़ फॉर्म सीवीसी की वेबसाइट https://pledge.cvc.nic.in पर 27/10/2020 से 02/11/2020 के बीच भरा जा सकता है, जिसका प्रिंट आउट सतर्कता अनुभाग में जमा करना है।

निस्केयर के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार शपथ ग्रहण में भाग लें ।

(वीना जैन)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि

1. सभी विभागाधक्ष (All Heads) (दोनों परिसर)
2. निदेशक के निजी सचिव
3. प्रसाशन नियंत्रक
4. वित्त एव लेखाधिकारी
5. सूचना पट्ट (दोनों परिसर)
6. Head/ IT with the request to upload this OM on NISCAIR website.

परिशिष्ट `ग`

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अत:, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।

Annexure - C

Integrity Pledge for Organisations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organisation, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitise our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.